

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/म.गां.अनु./प्रभाग-ब/अंग्रेजी माध्यम/संविदा भर्ती/66174/2022/(E File-02332) दिनांक: यथा हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय,
माध्यमिक शिक्षा (समस्त जिले)।

विषय :- Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules,2022 के अन्तर्गत नियुक्त सहायक अध्यापक लेवल-प्रथम तथा सहायक अध्यापक लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान-गणित) के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- 1. शासन का पत्रांक F.4(15) Edu-1/E.M./Cadre/2022-07773 जयपुर दिनांक 30.10.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन के प्रांसगिक पत्र दिनांक 30.10.2024 के द्वारा Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules,2022 के अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त सहायक अध्यापक लेवल-प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल-द्वितीय अंग्रेजी, गणित/विज्ञान, जिनकी कार्य समीक्षा उपरान्त एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर, उक्त नियम के नियम 13(1) में वर्णितानुसार मासिक एकमुश्त पारिश्रमिक में 5 प्रतिशत वृद्धि (अगले सौ रूपये तक पूर्णांकित करते हुए) किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की गई हैं।

अतः शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में यथावश्यक आगामी कार्यवाही सम्पादित करावें।

(आशीष मोदी)

आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/उप निदेशक (महात्मा गांधी विद्यालय), कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को **प्रभावी प्रबोधन किये जाने हेतु**।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा।
8. संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान/
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर